प्रति,

श्रीमान पुलिस अधिक्षक
रायपुर तहसील जिला व रायपुर (छ.ग.)

कमलेश कुमार कैवर्त पिता– श्री गोरे लाल केवर्त
ग्राम– मड़कड़ी वार्ड नं – 03 पोस्ट– परसाडीह
तहसील बिलाईगढ़ जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)
वर्तमान निवासी– डी–52 रोहिणीपुरम तालाब के पास
रोहिणीपुरम रायपुर (छ.ग.) .... आवेदक

विषयः– 1. रितुराज गायकवाड़ पिता कृष्णा राव गायकवाड़, 2. दीपराज गायकवाड़ पिता कृष्णा राव गायकवाड़ दोनो निवासी– म.क. एच–8, वार्ड 42, पुराना पंचशील नगर, जयजवान पेट्रोल पंप के पीछे, तहसील रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) 3. तानसेन साहू पिता– नेकराम साहू, स्थायी निवासी– ग्राम रामपुर थाना भखारा तहसील भखारा जिला धमतरी (छ.ग.), वर्तमान निवासी– रोहिणीपुरम तालाब के पास, रोहिणीपुरम रायपुर (छ.ग.) के द्वारा शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर 5,00,000/– रूपये प्राप्त कर राशि हड़पने व छल–कपट किये जाने की जांच कर आरोपीगण के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किये जाने बाबत्।

1. यह कि, मैं रायपुर में प्रायवेट जॉब करता हु। मैं 2021–22 में रोहिणीपुरम तालाब के पास रोहिणीपुरम रायपुर में ई–37 पर किराये पर निवास करता था। मेरे मकान मालिक के मकान में ही तानसेन साहू उसी भवन के बगल के रूम में किराये पर निवास करता है। निवास के दौरान तानसेन साहू के पड़ोसी होने से मेरी अच्छी जान पहचान एवं मित्रता हो गयी थी। तानसेन साहू का मित्र रितुराज गायकवाड़ एवं उनके भाई दीपराज गायकवाड़ थे जो अक्सर तानसेन के मकान पर आते जाते रहते थे। तानसेन साहू द्वारा रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ से मुझसे मुलाकात कराये थे और उनका भी हमारे निवास पर आने जाने के कारण अच्छी जान पहचान एवं मित्रता हो गयी थी।

2. यह कि, तानसेन साहू द्वारा बताया गया कि रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ का मंत्रालय में नेताओं एवं अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है जो शासन से निकलने वाले शासकीय नौकरी में भर्ती कराने का कार्य करते है। तत्पश्चात् तानसेन द्वारा उक्त संबंध में रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ से मिलवाया और उनके द्वारा कई लोगों को शासकीय नौकरी में लगाये जाने का कथन किया। उन तीनों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय उप पुलिस ... 04-5-2...

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर में विभिन्न पदों के भर्ती के लिये अधिसूचना जारी होने के संबंध में दिनांक 12.02.2022 की प्रति दिखाकर उन पदों पर भर्ती किये जाने आश्वासन दिया जिसकी प्रति मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से उसी समय भेजा गया। उनके द्वारा मुझसे भोजराम विश्वकर्मा, कनक कुमार, प्रमोद कुमार, पंकज दास एवं अजय पटेल को भी सरकारी नौकरी लगा रहे हैं कि जानकारी दी गयी। तब मैंने वाणिज्य उद्योग विभाग मंत्रालय के निरीक्षक के पद हेतु इच्छा जाहिर की तब तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ द्वारा उक्त पद हेतु 5,00,000/- रूपये लगने की जानकारी दी गयी और मुझे नियम एवं शर्तों की प्रति प्रदान की। जिसके पश्चात् उनके द्वारा मुझसे निरीक्षक पद पर भर्ती हेतु मेरे सारे दस्तावेज अप्रैल 2022 में प्राप्त कर आवेदन लिया गया। उक्त पद की नियुक्ति हेतु तानसेन साहू को मोबाईल नंबर 9770649541 फोन पे के माध्यम से दिनांक 16.04.2022 20,000/- रूपये, 16.04.2022 25,000/- रूपये, 16.04.2022 30,000/- रूपये, 22.06.2022 40,000/- रूपये, 23.06.2022 40,000/- रूपये, 23.06.2022 20,000/- रूपये, 27.06.2022 40,000/- रूपये, 27.06.2022 10,000/- रूपये, 04.07.2022 40,000/- रूपये, 04.07.2022 10,000/-, 09.07.2022 40,000/- रूपये, 09.07.2022 40,000/- रूपये, 09.07.2022 5,000/- रूपये, 13.07.2022 5,000/- रूपये, 14.07.2022 10,000/- रूपये, 18.07.2022 25,000/- रूपये, कुल 4,00,000/- रूपये भुगतान किया था। तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ द्वारा इंटरव्यू (साक्षात्कार) दिनांक 16.06.2022 को होटल आदित्य जय स्तंभ चौक में लिये जाने की जानकारी दी गयी और मुझे 1,00,000/- रूपये साथ लेकर आने का निर्देश दिया गया। दिनांक 16.06.2022 को तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ द्वारा होटल आदित्य में इंटरव्यू (साक्षात्कार) दिलाने मुझे ले गये थे जिसमें मेरे अलावा अन्य व्यक्ति भी इंटरव्यू दिलाने आये थे। तब तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय के अधिकारी बताकर किन्ही दो व्यक्ति एवं महिला जिनको बानो मेडम के नाम से पुकार रहे थे के समक्ष हम सभी का इंटरव्यू दिलाया गया। इंटरव्यू के समय अन्य आवेदक से बातचीत किये जाने हमारी जान पहचान हुयी थी जो अपना नाम प्रमोद कुमार पटेल जांजगीर-चांपा, भोजराम विश्वकर्मा रानीतराई पाटन जिला- दुर्ग, कनक कुमार रानीतराई पाटन जिला- दुर्ग एवं पंकज दास मानिकपुरी सिमगा बताये थे के द्वारा भी बताया गया कि रितुराज गायकवाड़ वगैरह द्वारा उनको भी शासकीय नौकरी दिलाने हेतु इंटरव्यू पर बुलाया गया है तब हमने एक दूसरे का मोबाईल नंबर शेयर किये थे।

3. यह कि, इंटरव्यू दिलाने के बाद तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र दिनांक 16.06.2022 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय का प्रदान किया गया। जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर का सील एवं हस्ताक्षर है।

जिसके पश्चात् उनके द्वारा मुझसे दिनांक 16.06.2022 को ही 1,00,000/- रूपये नगद प्राप्त किये, तथा भर्ती हेतु विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर विभाग में उपस्थित होकर नौकरी ज्वाईन करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ द्वारा बैंक खाते एवं नगद के माध्यम से कुल 5,00,000/- रूपये शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर प्राप्त किये है। नियुक्ति पत्र में, 11 जुलाई 2022 से 30 दिन के अंदर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर के समक्ष उपस्थित होकर पद का कार्यभार ग्रहण करने का उल्लेख है। नियुक्ति पत्र में उल्लेखित तिथि समाप्त होने के बाद भी कोई सूचना प्राप्त नही होने पर मैं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय रायपुर में जाकर नियुक्ति के संबंध में जानकारी लिया तब संबंधित विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2022 को किसी भी प्रकार के भर्ती हेतु कोई विज्ञापन जारी नही किया गया है और न ही विभाग द्वारा किसी को भी भर्ती हेतु कोई नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तब मुझे जानकारी हुयी कि तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ द्वारा आपस में सांठ-गांठ कर मुझसे शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर 5,00,000/- रूपये हड़प लिये है तब मैंने तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ से संपर्क कर और उन्हें दिये गये पैसे की मांग की तब उनके द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर पैसे जल्द वापस कर देने का कथन कर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही करने का निवेदन किया। बाद में मुझे जानकारी हुयी कि इन लोगों द्वारा मेरे साथ-साथ अन्य व्यक्तियों से भी शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किये है, जिसके पश्चात् मेरे साथ हुये छल-कपट के संबंध में प्रमोद कुमार पटेल से संपर्क किये जाने पर उनके द्वारा भी जानकारी दी गयी कि उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रमोद कुमार पटेल से भी शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिये गये है और उन्हें भी नौकरी प्रदान नही किया गया है। मैंने तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ से, लिये गये 5,00,000/- रूपये वापस किये जाने हेतु बार-बार निवेदन किये जाने पर कुछ दिनों मे दिये जाने का कथन कर टालमटोल करते रहे। मैं और प्रमोद कुमार पटेल दिनांक 15.11.2022 को तानसेन के निवास पर गये जहां तानसेन साहू द्वारा रितुराज गायकवाड़ एवं उनके भाई दीपराज गायकवाड़ को बुलाया गया जहां रितुराज गायकवाड़ द्वारा शासकीय स्थायी पदों पर भर्ती हेतु मुझसे एवं प्रमोद कुमार पटेल से पैसे लेना स्वीकार कर वापस देने हेतु तैयार हुआ और हमें जिला न्यायालय रायपुर लेकर गये। जिला न्यायालय रायपुर में उपस्थित होने पर जानकारी हुयी कि उक्त व्यक्तियों द्वारा मुझसे एवं प्रमोद कुमार पटेल के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के साथ भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है। जिसमें कनक कुमार पिता- प्रमोद कुमार निवासी- पाटन एवं रूपेश कुमार पिता- मोतीलाल निवासी- नवागांव जिला- धमतरी भी थे। तब रितुराज गायकवाड़ द्वारा तानसेन साहू से मिलकर स्थायी पदों पर भर्ती के लिये पैसा लेना स्वीकार कर नौकरी नहीं लगाये जाने पर दिनांक 10.12.2022 तक लिये गये राशि लौटाये जाये हेतु इकरारनामा मेरे एवं प्रमोद कुमार पटेल के नाम पर दिनांक 15.11.2022 को किया गया। जिसमें

कनक कुमार पिता- प्रमोद कुमार एवं रूपेश कुमार पिता- मोतीलाल गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये है। वैसे ही रितुराज गायकवाड़ द्वारा कनक कुमार, रूपेश कुमार एवं अन्य व्यक्ति के नाम पर उसी दिनांक को इकरारनामा नौकरी लगाये जाने के नाम पर लिये गये पैसा वापस किये जाने के संबंध में किया गया था जिसमें मैंने एवं प्रमोद कुमार पटेल ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये गये है।

4. यह कि, इकरारनामा के अनुसार दिनांक 10.12.2022 तक मुझसे लिये गये पैसे वापस नहीं किये जाने पर मैंने तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ से संपर्क कर पैसे नही दिय जाने पर कार्यवाही किये जाने का कथन किया तब उनके द्वारा मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक क्र. 000013 जो कि दीपराज गायकवाड़ के कोटक महेन्द्रा बैंक पचपेड़ीनाका रायपुर के खाते का था। मेरे नाम व राशि 5,00,000/- रूपये, दिनांक 28.12.2022 आदि भरकर प्रदान किया था तथा उनके द्वारा उक्त चेक के माध्यम से कुछ दिनों में राशि प्राप्त कर लेने का निवेदन किया। जिसके पश्चात् मैंने अपने बैंक आई.डी.बी.आई फाफाडीह रायपुर में दिनांक 30.01.2023 को चेक आहरण हेतु प्रस्तुत किया तब उक्त चेक Fund Insufficiant के कारण वापस आ गया तब मैंने चेक अनादरण की जानकारी दिये जाने पर उनके द्वारा पुनः कुछ दिनों पश्चात् पुनः चेक प्रस्तुत कर राशि प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया और कहा गया कि अब की बार आवश्यक रूप से राशि प्राप्त हो जावेगी। मैंने उक्त चेक को दिनांक 27.03.2023 को अपने बैंक में प्रस्तुत किया तब उक्त चेक पुनः Fund Insufficiant के साथ वापस आ गया।

5. यह कि, तब मैंने उक्त चेक अनादरित होने की जानकारी देकर अपने पैसे की मांग किया तब उनके द्वारा अपने राजनीतिक पहुंच का धौस दिखाकर मानहानी किये जाने का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की धमकी दी और पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। यह कथन किया कि रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड़ का भाई राज गायकवाड़ जो कि युवा कांग्रेस महासचिव हैं जो राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति है इसलिए तुम हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते, तुम जो करना है कर लो कहकर मुझे भगा दिया।

6. यह कि, तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड द्वारा सोची समझी साजिश के तहत षड़यंत्रपूर्वक व जालसाजी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुझसे शासकीय नौकरी लगाये जाने के नाम पर गुमराह कर 5,00,000/- रूपये हड़प लिये हैं तथा पैसे वापस मांगे जाने पर अपर्याप्त खाते का चेक दिया गया है जो भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अनादरित हुआ है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि तानसेन साहू, रितुराज गायकवाड़ एवं दीपराज गायकवाड द्वारा सोची समझी साजिश के तहत षड़यंत्रपूर्वक जालसाजी कर मुझसे शासकीय नौकरी लगाये जाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 5,00,000/- रूपये हड़प लिये हैं जिसकी जांच कर उचित कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

रायपुर
दिनांक 04.05.2023

आवेदक/ प्रार्थी
कमलेश कुमार कैवर्त
पिता- श्री गोरे लाल केवर्त
ग्राम- मड़कड़ी वार्ड नं - 03
पोस्ट- परसाडीह तहसील बिलाईगढ़
जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)
वर्तमान निवासी- डी-52 रोहिणीपुरम
तालाब के पास रोहिणीपुरम रायपुर (छ.ग.)
मो. 6261313360

संलग्न दस्तावेज:-

1. छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना दिनांक 12.02.2022 की प्रति जो आरोपीगण द्वारा दिये गये थे।
2. भर्ती हेतु नियम और शर्तों की प्रति जो आरोपीगण द्वारा दिये गये थे।
3. नियुक्ति पत्र दिनांक 16.06.2022 की प्रति।
4. मेरे द्वारा आरोपीगण को दिये गये पैसे के बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
5. रितुराज गायकवाड़ द्वारा किये गये इकरारनामा दिनांक 15.11.2022 की प्रति
6. आरोपीगण द्वारा मुझे दिये गये चेक क्र. 000013 दिनांक 28.12.2022 कोट महेन्द्रा बैंक की प्रति।
7. चैक अनादरण दिनांक 30.01.2023 एवं 27.03.2023 की प्रति।
8. रितुराज गायकवाड़ के आधार कार्ड की प्रति।
9. वाणिज्य उद्योग भवन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18/04/2022 की प्रति जो आरोपीगण द्वारा दी गयी है।

प्रतिलिपि:-

1. थाना प्रभारी दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर छ.ग.।
2. पुलिस महानिदेशक रायपुर।